

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनु0 1
संख्या: 4679 /9.1.13-96सा/13टीसी
लखनऊ: दिनांक 19 नवम्बर, 2013

अधिसूचना (शुद्धि पत्र)


अधिसूचना सं0 3797/9.1.13-96सा/13टीसी, दिनांक 12 जुलाई, 2013 द्वारा जनपद एटा की नगर पंचायत सकीट तथा नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, शामली में सदस्य नामित किया गया है।

2. उक्त नगर पंचायत सकीट, एटा में नामित एक सदस्य "श्री चंदन वाष्णेय" के नाम में तथा नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता, शामली में नामित सदस्य "श्री हरवीर सिंह कश्यप" तथा "श्रीमती राबे सखरी" के नाम (पिता/ पति) में त्रुटि संबन्धी जानकारी संज्ञान में आने पर सम्यक विचारोपरांत उक्त अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई, 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

क्र.सं.	संशोधित नाम	पिता/पति का नाम	पता	नगर पंचायत का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
16	श्री नंदन वाष्णेय	पुत्र श्री हरिओम वाष्णेय	मौ0 कटरा, सकीट एटा	सकीट	एटा
4	श्री हरवीर सिंह कश्यप	पुत्र श्री बुल्ला कश्यप	नि0 पूर्वी कश्यपपुरी, गढ़ीपुख्ता, शामली।	गढ़ीपुख्ता	शामली
	श्रीमती सरवरी	पत्नी श्री साजिद	निवासी मौ0 पीरजादगान, गढ़ीपुख्ता, शामली।	गढ़ीपुख्ता	शामली

3. अतएव अधिसूचना सं0 3797/9.1.13-96सा/13टीसी, दिनांक 12 जुलाई, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।


4. उक्त आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या: 34436/11 तथा 18362/2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 4679(1)/9.1.13-96सा/13 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को प्रकाशित कराकर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनु01, बापू भवन, सातवां तल, उ0प्र0सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,



(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 4697 (2)/9.1.13-96सा/13टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. आयुक्त, अलीगढ़ /सहारनपुर मण्डल, अलीगढ़ /सहारनपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. स्पीड पोस्ट: जिलाधिकारी, एटा/ शामली को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए, शपथ ग्रहण आदि कराये जाने का कष्ट करें।
5. समस्त संबंधित अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी। (द्वारा जिलाधिकारी)
6. समस्त संबंधित सदस्य, (द्वारा जिलाधिकारी)
7. वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय साइट पर अपलोड किया जाना एवं समस्त संबंधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राजेश बहादुर)
अनु सचिव।